न्यायालय जिला निर्वाचन अधिकारी(जिला कलेक्टर)टोंक
(गौरव अग्रवाल, आई0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 06/2021
प्रविष्टि दिनांक 13–1–2021

1–सायर सेनी पत्नि श्री भागचन्द सेनी निवासी प्लाट नं0 35 शास्त्रीनगर विस्तार योजना एमक्योर हॉस्पिटल के पास वार्ड नं0 33 जयपुर रोड मालपुरा जिला टोक राज0
.........अपीलाण्ट

बनाम

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) मालपुरा जिला टोंक राज0
–रेस्पोडेण्ट

अपील विरूद आदेश निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) मालपुरा

उपस्थितिः– 1– श्री भागचन्द सेनी एडवोकेट अपीलान्ट की ओर से

निर्णय दिनाक 14.01.2021

अपील का संक्षेप में सार इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने नगरपालिका मालपुरा के वार्ड संख्या–33 की निर्वाचक नामावली में अपना नाम सम्मिलित किये जाने के लिए प्ररूप–3 में प्रस्तुत किये गये आवेदन पत्र को रेस्पोडेन्ट द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया, जिसे निरस्त किये जाने हेतु अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई तथा रेस्पोडेन्ट से अपील पर बिन्दुवार टिप्पणी/जवाब मय संबंधित रिकार्ड के तलब किया गया। प्रकरण में अपीलान्ट के अभिभाषक की बहस सुनी गई।

अपीलान्ट ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि यह कि प्रार्थीया सायर पत्नि भागचन्द सैनी निवासी प्लाट नं. 35 शास्त्री नगर विस्तार योजना एमक्योर हॉस्पिटल के पास जयपुर रोड मालपुरा में अपने स्वयं के मकान में अपने परिवार के साथ निवास करती है, जो नगर पाालिका मालपुरा वार्ड नं. 33 में आता है। प्रार्थीया ने नगर पालिका के वार्ड नं. 33 में मतदाता सूची में नाम जुडवाने के लिए दिनांक 22.12.2020 को उप जिला निर्वाचन अधिकारी के यहां पर आवेदन पेश किया था। प्रार्थिया ने अपने आवेदन के साथ गैस कनेक्शन डायरी की फोटो प्रति, प्रार्थिया का ग्राम पंचायत से हटाए गए नाम की बी एल आदि दस्तावेजात पेश किये थे। उक्त तथ्यों की जांच पटवारी श्री बाबूलाल वर्मा द्वारा करायी गई थी। जिसमें पटवारी द्वारा प्रार्थिया को अपने स्वयं के पुख्ता मकान में रहना बताया है। तथा निर्वाचन कार्यालय मालपुरा के कार्मिक विष्णु बारेठ द्वारा पटवारी श्री वर्मा को बुलाकर दबाव बनाकर निवास संबंधी दस्तावेजनहीं ,होने की रिपोर्ट करवाली गई। उप जिला निर्वाचन अधिकारी मालपुरा द्वारा प्रार्थिया का मतदाता सूची में नाम जोडे बाबत आवेदन पत्र को निरस्त किया गया है। वह पत्रावली पर उपलब्ध तथ्य व साक्ष्य के विरूद्ध होने के कारण निरस्ती आदेश अपास्त योग्य है। साथ ही यह भी कथन किया कि प्रार्थिया करीबन 1 वर्ष से अपने उक्त मकान पर अपने परिवार के साथ रह रही है। जिस की व्यक्तिगत जानकारी उप जिला निर्वाचन अधिकारी मालपुरा को है। प्रार्थिया का पति विधि व्यवसाय मालपुरा स्थित न्यायालय में करता है।

बरवक्त बहस अभिभाषक द्वारा यह भी कथन किया कि भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 354 के तहत निर्वाचन आयोग को स्वतंत्र निकाय के रूप में

Signature Not Verified
Digitally signed by Gaurav Agrawal
Date: 2021.04.06 11:09:29 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
टोंक

Scanned by CamScanner

व्यवस्था की गई हे। निर्वाचन सम्बन्धित अधिकारी व कर्मचारी को निष्पक्ष रहकर कार्य करना चाहिये तथा निर्वाचन में सम्बन्धित कार्मिक को निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार समय–समय पर प्राप्त कार्यक्रमों के अनुसार घर–घर जाकर पात्र मतदाताओं का नाम जोड़ना तथा अपात्र मतदाताओं का नाम हटाना उनका कर्तवय है। यदि कोई भी मतदाता मामूली तोर तीन माह की अवधि तक जिस स्थान पर निवास करता है उस स्थान की मतदाता सूचि में नाम जुड़वाने का कानूनन अधिकार प्राप्त हो जाता है। बशर्त वह मतदाता निवास विषयक सम्पूर्ण अर्हताएँ धारित करता हों। आज की तारीख में प्रार्थिया का किसी भी प्रकार की मतदाता सूची में नाम नहीं है। ऐसी सूरत में मालपुरा नगर पालिका मतदाता सूची में नाम जोडा जाना तथा मताधिकार प्रदान किया जाना न्यायोचित व विधि संगत है। अतः अपील स्वीकार कर अपीलान्ट्स का नाम मालपुरा के वार्ड संख्या–33 की निर्वाचक नामावली में जुड़वाने के आदेश प्रदान करें। अपीलान्ट ने अपने कथन की पुष्टि में प्रधानाचार्य, रा0 उच्च मा0 विद्यालय मालपुरा द्वारा जारी उत्तरदायी व्यक्तियों द्वारा सत्यापन प्रमाण पत्र दिनाक 12–1–2021 व प्राध्यापक रा. उ. मा.विद्यालय मालपुरा द्वारा जारी उत्तरदायी व्यक्तियों द्वारा सत्यापन प्रमाण पत्र दिनाक 12–1–2021 का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है।

हमने अभिभाषक अपीलाण्ट की बहस पर मनन किया एंव निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एसडीएम) मालपुरा के जवाब तथा संबंधित रिकार्ड एंव अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया। अपीलाण्ट ने मालपुरा के वार्ड संख्या–33 की निर्वाचक नामावली में अपना नाम सम्मिलित किये जाने के लिए प्ररूप–3 में प्रस्तुत किये गये। जबकि राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान के निर्देश हैं कि यदि आवेदक की शहरी एंव ग्रामीण क्षेत्र दोनों में भूमि या भवन आदि है तो सामान्यतः निवास विषयक विधिक बाध्यता के परीक्षण में इस तथ्य पर गहन विचार किया जावे कि क्या आवेदक द्वारा दूसरे स्थान से सम्बन्धित किसी सस्था(पंचायतीराज/नगरीय निकाय के)हाल ही में समपन्न हुए चुनाव में नाम निर्देशन पत्र तो प्रस्तुत नहीं किया गया है, तथा आवेदक का नाम अन्य संस्था/क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में पूर्व से ही दर्ज तो नहीं है। समूचित जॉच परीक्षण के उपरान्त केवल उन्ही आवेदनों को स्वीकार कर नाम जोड़े जावे जो विधिक प्रावधानों के अनुसार सामान्यत निवास विषयक प्रावधान के अनुसार योग्य है गहन जॉच का अभिन्न अंग है दूसरे पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर देना। उपखण्ड अधिकरी ने अपने निर्णय में अंकित किया है कि अपीलान्ट "मौके पर निवास नहीं करता है, पटवारी रिपोर्ट में भी आवेदक मौके पर निवास करने के प्रमाण नहीं मिले अतः आवेदन निरस्त कर नामन्जूर किया जाता है" निर्णय किस दिनांक को पारित किया गया है यह भी अंकित नहीं किया गया। जबकि अपीलान्ट्स का कथन है कि हमे सुनवाई का तथा सबूत दस्तावेज पेश करना का अवसर नहीं दिया गया है।

फलतः अपील अपीलान्ट्स आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एसडीएम) मालपुरा को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित(रिमाण्ड) की जाती है कि प्रकरण में अविलम्ब अपीलान्ट्स के प्रतिवेदन की जॉच किसी तहसीलदार स्तर के अधिकारी से करवाकर व अपीलान्ट्स को सुना जाकर तथा प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन कर पुनःनिर्णय पारित करे।

(गौरव अग्रवाल)
जिला कलेक्टर, टोंक

जिला कलेक्टर
टोंक

Signature Not Verified

Digitally signed by Gaurav Agrawal
Date: 2021.04.06 11:09:29 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner